सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 47 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :—21.02.2025

GCMS ID-2025 / 60

बउनवान

1. नूर मोहम्मद आयु 38 वर्ष पिता मकबूल जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. छोटा बाई आयु 94 वर्ष पत्नी नकबूल जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार।

## निर्णय

दिनांक :— 15 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि **खाता संख्या नया 547** पुराना 352 की भूमि ख.सं. 1782, 1783, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1800, 1806, 1808, 2517, 2518, 2519, 2572, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579 कुल किता 22 कुल रकबा 5.6740 हैक्टेयर व **खाता संख्या 548** की भूमि खसरा संख्या 2581 रकबा 0.4532 हैक्टेयर वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद व **खाता संख्या 549** की भूमि खसरा संख्या 1795 रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद ग्राम तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 मे विरिथत है. जो प्रार्थीगण की सयुक्त खोतेदारी में दर्ज है. प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्वाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 1 / 1, 1 / 2 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकोर्ड मे प्रार्थीगण नूर मोहम्मद का नाम अनवर अली व छोटा थाई का नाम धापु बाई दर्ज हो रहा है



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बकि प्रार्थीगण के सही नाम नूर मोहम्मद व छोटा बाई है, जो प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, इसलिये उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आदि में प्रार्थीगण का नाम नूर मोहम्मद व धापु बाई है, लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 1/1, 1/2 मे वर्णित भूमियो मे प्रार्थीगण का नाम अन्वर अली व धापु बाई दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। तथा प्रार्थीगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है, जबकि प्रार्थीगण के सही नाम नूर मोहम्मद व छोटा बाई है तथा पहचान के सभी दस्तावेजात में भी उक्त नाम ही दर्ज है, इसलिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राज को दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड सही नाम नूर मोहम्मद व छोटा बाई दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.01.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 1/1, 1/2 में वर्णित भूमिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम अनवर अली व धापु बाई के इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर उक्त स्थान पर सही नाम नूर मोहम्मद व छोटा बाई दर्ज करवावे एवं उका गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवावे। भूमिया ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 1/1, 1/2 में वर्णित भूमि भूमि खाता संख्या नया 547 पुराना 352 की भूमि ख.सं. 1782, 1783, 1789, 1792 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1800, 1806, 1808, 2517, 2518, 2519, 2572, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579 कुल किता 22 कुल रकया 5.6740 हैक्टेयर व **खाता संख्या 548** की भूमि खसरा संख्या 2581 रकबा 0.4532 हैक्टेयर वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद व **खाता संख्या 549** की भूमि खसरा संख्या 1795 रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम अनवर अली व धापु बाई के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

स्थान पर नूर मोहम्मद व छोटा बाई राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की जॉच रिपोर्ट :–राजस्व/2025/1397 दिनांकः–01.09.2025 के मुताबिक ग्राम अलोद प0म0 अलोद के खाता संख्या 547 में प्रार्थीगण का नाम अनवर अली पुत्र मकबूल खां व धापु बाई पत्नी स्व0 मकबूल खां सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बरों में दर्ज अनवर अली पुत्र मकबूल खां व नूर मोहम्मद पुत्र मकबूल एक ही व्यक्ति के नाम है व धापु बाई पत्नी स्व0 मकबूल व छोटा बाई पत्नी स्व0 मकबूल एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम अनवर अली पुत्र मकबूल खां के स्थान पर नूर मोहम्मद पुत्र मकबूल एवं धापुबाई पत्नी स्व0 मकबूल खां के स्थान छोटा बाई पत्नी स्व0 मकबुल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त भूमियॉ विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम नूर मोहम्मद पुत्र मकबूल व छोटा बाई पत्नी मकबूल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"**

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एंव नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार, पेन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलोद पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण का सही नाम नूर मोहम्मद पुत्र मकबूल व छोटा बाई पत्नी मकबूल है। प्रकरण में जॉच रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम अलोद प0मं0 अलोद के खाता संख्या 547 में दर्ज प्रार्थीगण के नाम अनवर अली पुत्र मकबूल खां के स्थान पर नूर मोहम्मद पुत्र मकबूल व धापु बाई पत्नी स्व0 मकबूल खां के स्थान पर छोटा बाई पत्नी मकबूल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–15.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

15/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446